



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29316 वर्ष 2026

रविशंकर द्विवेदी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: अंजना सिंह, देव प्रकाश सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन के गुण-दोष पर सुनवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक लेखपाल है और उस पर 20,000/- रुपये की धनराशि की मांग किए जाने का आरोप है। तत्पश्चात ट्रैप टीम गठित की गई और आरोप है कि आवेदक ने उक्त धनराशि प्राप्त की तथा उसे सह-आरोपी लवलेश कुमार को सौंप दिया। प्रस्तुत किया गया कि आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और अधिकतम निर्धारित सजा सात वर्ष है। सह-आरोपी लवलेश कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27481 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 06.08.2026 के आदेश द्वारा पहले ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 09.06.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु मामले के तथ्यात्मक स्वरूप से इनकार नहीं किया।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति सामने नहीं रखी, जिससे आवेदक के आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त का संकेत मिले और जिसके कारण आवेदक जमानत के लिए अपात्र हो।

6. राज्य का यह मामला नहीं है कि जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में आरोपी-आवेदक द्वारा निष्पक्ष विचारण में बाधा डालने की संभावना है। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक का चरित्र ऐसा है कि खुले में उसकी मात्र उपस्थिति से साक्षी भयभीत होंगे अथवा ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय में बाधा डालने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

7. जमानत का उद्देश्य आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विचारण लंबित रहने के दौरान आरोपी की निरुद्धता दंडात्मक प्रकृति की नहीं हो सकती, क्योंकि आरोपी व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा होती है। विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसा कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि आरोपी-आवेदक का चरित्र ऐसा है कि खुले में उसकी मात्र उपस्थिति से साक्षी भयभीत होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विद्वान ए.जी.ए. ने साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई युक्तियुक्त आशंका प्रस्तुत नहीं की है और न ही यह प्रदर्शित किया है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में जनहित/राज्य का व्यापक हित संकट में पड़ जाएगा।
9. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।
10. प्रतिपक्षी द्वारा ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि अतीत में आवेदक ने विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। आगे, ऐसी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सामग्री एवं परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक को जमानत पर रिहा करना जनहित अथवा व्यापक रूप से समाज के हित में नहीं है।
11. ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक के फरार होने का जोखिम है, अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना है अथवा जमानत पर रिहा किए जाने पर वह साक्षी को भयभीत करेगा।
12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए अपना मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. आवेदक **रविशंकर द्विवेदी**, जो मुकदमा अपराध संख्या 08 वर्ष 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 12, थाना एंटी करप्शन बांदा, जिला ए.सी.ओ. उत्तर प्रदेश में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
- iii. आवेदक, जब तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और/या जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

20 अगस्त, 2026

डी. तामांग

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”